भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1867
04 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एंटीबायोटिक दवाओं की अप्रभावशीलता और नीली पट्टी लगाने की नीति

1867 # श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में प्रत्येक तीन में से एक जीवाणु संक्रमण सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो गया है;
(ख) क्या सरकार ने डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक दवाओं की अवैध बिक्री को रोकने के लिए हाल ही में जारी 'नेशनल एक्शन प्लान ऑन एएमआर 2.0' के अंतर्गत राज्यों को कोई कठोर दिशानिर्देश जारी किए हैं; और
(ग) क्या सरकार ने जनवरी, 2026 में जारी मसौदा अधिसूचना के अंतर्गत सभी रोगाणुरोधी दवाओं पर अनिवार्य नीली पट्टी लगाने का प्रस्ताव किया है, ताकि फार्मेसी काउंटरों पर उनकी सरलता से पहचान हो सके तथा उनके दुरुपयोग को रोका जा सके ?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): सरकार देश में प्रतिरोगाणु प्रतिरोध की बढ़ती चुनौती से अवगत है। इस जनस्वास्थ्य संबंधी चिंता के समाधान हेतु सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अनेक रणनीतिक एवं समन्वित उपाय किए गए हैं, जिनका विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

राष्ट्रीय प्रतिरोगाणु प्रतिरोध कार्ययोजना (एनएपी-एएमआर) 2.0 के अंतर्गत मानव, पशु, खाद्य तथा पर्यावरण क्षेत्रों में प्रतिरोगाणु प्रतिरोध एवं प्रतिरोगाणु उपभोग के लिए निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है। इस कार्ययोजना के अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थानों में प्रतिरोगाणु प्रबंधन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित किया जाता है, निगरानी नेटवर्कों के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है तथा सभी हितधारकों, जिनमें स्वास्थ्य पेशेवर, पशु चिकित्सक, किसान एवं समुदाय शामिल हैं, के लिए व्यवहार परिवर्तन संचार तथा जन-जागरूकता अभियानों को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि प्रतिरोगाणु के तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

भारत सरकार, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के माध्यम से ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार औषधियों की सुरक्षा, प्रभावकारिता एवं गुणवत्ता का विनियमन करती है। औषधियों के विक्रय एवं वितरण का विनियमन ओषधि नियम, 1945 के अंतर्गत राज्य लाइसेसिंग प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है।

प्रतिरोगाणु औषधियों की सरल पहचान सुनिश्चित करने तथा उनके तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ओषधि नियम,1945 में नीली पट्टी लेबलिंग संबंधी संशोधन के लिए 21.01.2026 को एक प्रारूप अधिसूचना जारी की गई थ।

****

अनुलग्नक

प्रतिरोगाणु प्रतिरोध (एएमआर) की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण:

• स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रतिरोगाणु सहित औषधियों के तर्कसंगत उपयोग हेतु **मानक** उपचार दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशानिर्देश एनसीडीसी की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

(Link: https://ncdc.mohfw.gov.in/uploads/pdf/amr17.pdf .)

• स्वास्थ्य सेवा से संबंधित संक्रमणों की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा स्वास्थ्य संस्थानों में प्रतिरोगाणु के अनावश्यक उपयोग को कम करने के उद्देश्य से संक्रमण निवारण एवं नियंत्रण संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशानिर्देश संबंधित वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं।

https://ncdc.mohfw.gov.in/uploads/pdf/amr19.pdf
https://qps.nhsrcindia.org/sites/default/files/2025-08/HAI%20Book_0.pdf

• प्रतिरोगाणु के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा प्रतिरोगाणु प्रतिरोध (एएमआर) के संबंध में जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए **राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र** द्वारा ऑडियो-विजुअल सामग्री, सोशल मीडिया संदेश तथा बाह्य प्रचार अभियानों सहित सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) सामग्री विकसित की गई है। यह सामग्री सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है तथा व्यापक प्रसार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा की गई है। विवरण निम्न लिंक पर उपलब्ध है।

link: https://ncdc.mohfw.gov.in/includes/About/CentresAndDivision/amr.php .

• केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार औषधियों की सुरक्षा, प्रभावकारिता एवं गुणवत्ता का विनियमन करता है। प्रतिरोगाणु को अनुसूची **एच** तथा **एच-1** में शामिल किया गया है और उनका खुदरा विक्रय केवल पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के औषधि पर्चे पर ही किया जा सकता है।

• राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जन स्वास्थ्य संस्थानों में जेनेरिक औषधियों के पर्चे लिखने को प्रोत्साहित करने तथा औषधि पर्चों का नियमित संपरिक्षा करने का परामर्श दिया गया। औषधि पर्चों की संपरीक्षा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाणन की अपेक्षाओं में भी शामिल है।

• सीडीएससीओ द्वारा राज्य औषधि नियामकों तथा अन्य हितधारकों को नियामकीय प्रावधानों के कड़ाई से अनुपालन तथा प्रतिरोगाणु के दुरुपयोग के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न नोटिस, एडवाइजरी एवं संचार जारी किए गए हैं।

• ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में संशोधन कर नई अनुसूची एच-1 जोड़ी गई है, जिसमें विभिन्न एंटिबायोटिक, तपेदिक-रोधी तथा आदत विकसित करने वाली औषधियों को शामिल किया गया है।

• अनुसूची **एच-1** की औषधियों के लिए पृथक विक्रय रजिस्टर का अनिवार्य तीन वर्ष तक अनिवार्य रख-रखाव तथा उसमें चिकित्सक एवं रोगी का विवरण दर्ज करना आवश्यक किया गया है।

• नियम 97 में संशोधन कर खाद्य उत्पादन करने वाले पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त औषधियों के लेबल पर प्रत्याहार अवधि का उल्लेख अनिवार्य किया गया है।

• पशुओं में एंटिबायोटिक के विवेकपूर्ण उपयोग तथा पशु आहार में एंटिबायोटिक एवं हार्मोनों के उपयोग को समाप्त करने के संबंध में पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शी जारी किए गए हैं।

• खाद्य उत्पादन करने वाले पशुओं, कुक्कुट, जलीय कृषि तथा पशु आहार अनुपूरकों में उपयोग हेतु कोलिस्टिन एवं उसके सभी फॉर्मुलेशनों के विनिर्माण, विक्रय एवं वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया है।

• किसी भी खाद्य उत्पादन करने वाले पशुपालन तंत्र में उपयोग के लिए क्लोरैमफेनिकॉल, नाइट्रोफ्यूरान्स तथा उनके सभी फॉर्मुलेशनों के आयात, विनिर्माण, विक्रय एवं वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया है।

*****